हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

02.04.2015/1100/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1921.

श्री खूब राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि निरमण्ड मण्डल के अन्तर्गत 10सड़कों की डी.पी.आर बन चुकी है, जिसमें 8 सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की हैं और 2 सड़कें नाबार्ड की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 2 सालों के अन्दर एम.एल.ए. प्रायोरिटीज़ की कितनी सड़कों की डी.पी.आर. बनी? जबकि मेरी सूचना के मुताबिक एम.एल.ए. प्रायोरिटी की एक भी सड़क की डी.पी.आर. नही बनी है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि during last two years 10 Detailed Project Reports for various road works were prepared for Anni Constituency: under PMGSY - 08 Nos and NABARD - 02 Nos. Nine Detailed Project Reports amounting to Rs. 24.97 crore have been approved. Approval of one DPR under NABARD is awaited. In addition to this, four Detailed Project Reports have been proposed under PMGSY for the year 2015-16: (i) Link road from Tharla to Sagopha - Rs. 289.63 lakhs; (ii) Arsi Kundakod road - Rs. 252.95 lakhs; (iii) Link road from Rumali to Deem - Rs. 520.79 lakhs and (iv) Metalling & Tarring on Koil to Neether road - Rs. 817.93 lakhs. So far this portion is concerned, it is very satisfactory. Within two years, lot of proposals have not only been approved, but their implementation is on.

माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस दौरान विधायक प्रायोरिटी की जो स्कीम्ज़ हैं उनमें से कौन सी बनी है। जो आपकी एम.एल.ए. प्रायोरिटी की स्कीम्ज़ है they are under NABARD और इसमें दो सड़कें शामिल हो गई है। नाबार्ड में 2सड़कें शामिल भी हो गई है और नाबार्ड ने इन्हें मंजूर भी कर दिया है।

02.04.2015/1100/negi/jt/2

श्री खूब राम : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि आनी चुनाव क्षेत्र का जो हमारा निरमण्ड डिवीजन है वहां एक भी सर्वेयर नही है जिसके कारण यह डी.पी.आर. नही बन रही है । क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय वहां सर्वेयर भेजेंगे? प्लानिंग की मीटिंग में भी मैंने इसके लिए कहा था ,क्योकि 8-10 साल हो गए वहां पर कोई सर्वेयर नही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर एक सर्वेयर भेजा जाए ताकि डी.पी.आरज. तैयार हो सके।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आनी चुनाव क्षेत्र में नाबार्ड और वर्ल्ड-बैंक के अन्तर्गत सड़कें काफी मात्रा में आई हैं और उसमें काफी सड़कें मंजूर हुई हैं । यह बड़ी खुशी की बात है और माननीय सदस्य को इसके बारे में खुशी होनी चाहिए। अगर कोई सड़क, जो अभी तक नाबार्ड में नही आई है या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में नही आई है या अदरवाइज स्टेट फंडिंग में नहीं आई है ,अगर आप उनके बारे में मुझे अलग से पत्र लिख करके भेजेंगे तो मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करके आपको भेज दूंगा और उस काम को ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

02.04.2015/1105/**यूके/जेटी**/1

प्रश्न संख्या :1921--**जारी**----

मुख्य मंत्री----**जारी**-----

और काम को भी तेजी के साथ करने का प्रयास किया जायेगा । मैं यह भी कह दूं कि जो माननीय सदस्य ने मुझे कहा कि निरमंड डिवीज़न में सर्वेयर नहीं है । अभी एक सर्वेयर वहां पर भेज दिया गया है । जब आप अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे तो वह आपके सामने होगा ।

02.04.2015/1105/यूके/जेटी/2

प्रश्न संख्या-199

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री कृष्ण लाल ठाकुर ,प्राधिकृत श्री विजय अग्निहोत्री (अनुपस्थित)

02.04.2015/1105/यूके/जेटी/3

प्रश्न संख्या 1923

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, जिला सोलन के गोयला में एक पॉवर हाऊस नहीं बन रहा है, इसमें या तो मिसप्रिंट हुआ है या प्रश्न गलत था वहां पर 33 के0वी0 का एक सब-स्टेशन बनाया जा रहा है जिस लिए 338 स्क्वेयर मीटर लैंड जो है वह वन भूमि है ,उसके हस्तांतरण का मामला मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायनमैंट फॉरेस्ट एंड क्लाईमेट चेंज से उठाया गया है । परमिशन मिलते ही इसका काम शुरू कर दिया जायेगा । पैसा इसके लिए माकूल पड़ा हुआ है ।

श्री राम कुमार: अध्यक्ष जी ,मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को जो यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरनमैंट के पास लम्बित है, कम से कम एक-डेढ़ वर्ष हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इसको शीघ्र निपटाने के लिए कोई प्रयत्न करेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 16 तक यह कार्य कर दिया जायेगा ।

02.04.2015/1105/यूके/जेटी/4

प्रश्न संख्या: 1924

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत सूचना दी है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि इस सड़क पर सेब

सीज़न जून से शुरू हो जायेगा, तो क्या उस समय सेब की ढुलाई के लिए इस सड़क को यातायात के लिए ठीक कर दिया जायेगा? दूसरे जिस कम्पनी ने वह दोनों कॉंट्रैक्ट लिए हैं, वे काम ऐक्सपीडाईट करें, क्योंकि मौके पर काम नहीं हो रहा है। मैं सत्य बता रहा हूं। तो एसको ऐक्सपीडाईट करने के लिए क्या सरकार अपनी मशीनरी उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, तथा वह कार्य तेजी से हो इसके लिए कोई कार्रवाई करेगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जो सड़क है वह दो पार्ट में बन रही है, एक है ठियोग से खड़ापत्थर और दूसरी है खड़ापत्थर से रोहड़ू। ये दोनो काम एक ही कम्पनी को अलॉट हुआ है on the basis of tenders. शुरू में जो C&C कम्पनी है उनको काम ढीला था। They could not mobilize enough machinery, equipment and workers. अब तो इनका काम पिकअप हो रहा है। सिविल वर्क का काम हो गया है, मशीनरी भी लग गयी है और अन्य बड़ी-बड़ी मशीनें भी वहां पर आई हैं और स्टोन क्रशर भी बड़ी केपेसिटी का लगा दिया गया और भी अन्य स्टोन क्रशर लगा गए दिए हैं।

एसएलएस द्वारा जारी जारी-----

02.04.2015/1110/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1924 ..जारी

माननीय मुख्य मंत्री...जारी

और काम पिक-अप हो गया। मगर जैसे ही काम पिक-अप हुआ तो मौसम खराब होने की वजह से, बर्फबारी और बरसात की वजह से काम में रुकावट आती रही। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मौसम खुलेगा, इस कंपनी का काम हमें दिखने लगेगा और तेजी के साथ अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यही आश्वासन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुझे दिया है। जहां तक आपने सेव सीजन की बात की, मुख्य सड़क तो यही है; रोहड़ू से शिमला आने का जो रास्ता है वह खड़ा पत्थर, कोटखाई और ठियोग का ही रास्ता है। मगर विकल्प भी हैं। जब तक यह सड़क बन रही है, इसमें यातायात भी चलता रहेगा। मगर जो ज्यादा ट्रैफिक होगी ,उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए रोहड़ू से टिक्कर, दराठीधार ,बागी और खड़ा पत्थर होते हुए यातायात जारी रखा जाएगा। और भी कई विकल्प रास्ते हैं। मगर इस सड़क पर भी ट्रैफिक होगा। हम चाहेंगे

कि ज्यादा ट्रैफिक दूसरी सड़कों पर चले ,इस सड़क पर ट्रैफिक कम-से-कम हो ताकि सेव सीजन के दौरान भी इस सड़क पर काम होता रहे, वर्ना अगर सारी ट्रैफिक इसी रोड पर चलेगी तो इस पर 3-4 महीनों के लिए काम ठप्प हो जाएगा। We have to keep a balance of that कि ट्रैफिक भी चले, काम भी चलता रहे और ट्रैफिक लोड के लिए दूसरी सड़कों का इस्तेमाल किया जा जाए।

समाप्त

02.04.2015/1110/sls-ag-2

प्रश्न संख्या :1925

श्री मनोहर धीमान : अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें भूमि उपलब्ध होने पर आगामी कार्रवाई की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भूमि वहां बहुत है। आप विभाग को निर्देश दें, भूमि उपलब्ध हो जाएगी। वहां किसानों की समस्या को देखते हुए इस मण्डी का जल्दी खुलना बहुत अनिवार्य है।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, वहां पर कई बार कमेटी गई है। 17.08.2011 को एक प्रस्ताव आया था। उसके बाद 20/2012 को और वर्ष 2013में सचिव, सहायक सचिव (मण्डी), सुपरवाईजर (मण्डी) समेत जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम ,धर्मशाला ने स्थानीय लोगों के साथ वहां पर संयुक्त निरीक्षण किया है परंतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थान का चयन नहीं हो सका। अध्यक्ष जी, हमें इसके लिए कम-से-कम 15 बीघा ज़मीन चाहिए। विधायक जी वहां के रहने वाले हैं। अगर हो सका तो मैं भी इनकी सहायता कर सकता हूं। आप भूमि बताएं और जैसे ही आप भूमि बता देंगे, उसके बाद उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

समाप्त

02.04.2015/1110/sls-ag-3

प्रश्न संख्या :1926

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की अधिकतर पंचायतों के

प्रधानों ने मनरेगा के कार्य पूर्ण कर लिए हैं लेकिन टैक्निकल स्टॉफ, जे.ई. या मनरेगा सहायक के कारण कार्य फ्रिज नहीं किए जा रहे हैं। जे.ई. कहता है कि कार्य को मनरेगा सहायक फ्रिज करेगा और मनरेगा सहायक कहता है कि इस कार्य को जे.ई. फ्रिज करेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि यह जो फ्रिज करने का कार्य होता है, जिसको एम.आई.एस. कहते हैं ..

जारी ...श्री गर्ग जी

02/04/2015/1115/RG/AG/1

प्रश्न सं.1926----क्रमागत

श्री विनोद कुमार------क्रमागत

जिसको एम.आई.एस. कहते हैं उसको जे.ई. करेगा या मनरेगा सहायक करेगा? दूसरा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब हमारा कोई भी कार्य कम्पलीट होता है, तो उसके कंपलीशन के बाद उसको फ्रीज करने की कोई समय-सीमा तय की जाए। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की अधिकतर पंचायतों में मनरेगा का कार्य पूर्ण हो चुका है ,लेकिन वहां मैटीरियल की अदायगी जैसे रेता, पत्थर, बजरी, सरिया आदि की पेमेन्ट्स अभी भी नहीं हो पाई हैं जिसके कारण कोई भी कार्य कम्पलीट नहीं हो पाया है जिसके कारण एम.आई.एस. नहीं हो पा रही है और कम्प्युटर में सभी कार्य स्टैण्ड दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्य कम्पलीट हो चुके हैं उनकी पेमेन्ट्स कब तक हो जाएगी? तीसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अभी वर्ष 2014-15 के शेल्फ में पंचायतों के जो महत्वपूर्ण कार्य डाले गए थे वे कार्य वर्ष 2014-15 में किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पाए हैं और जो वर्ष 2015-16 का शैल्फ डाला है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया प्रश्न कीजिए ,सारा न पढ़ें, आपने तो सारी किताब पढ़ दी। थोड़ा सा देखकर बोलिए, यह ब्रीफ में होता है, आप तो सारी किताब ही पढ़ रहे हैं।

श्री विनोद कुमार : वे कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं और वर्ष 2015-16 की शैल्फ में भी वे कार्य नहीं डाले गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि

जो पंचायतों के विकास के महत्वपूर्ण कार्य वर्ष 2014-15 के शैल्फ में डाले गए हैं और किन्हीं कारणों से शुरू नहीं पाए हैं क्या उन कार्यों को एक वर्ष की ऐक्सटैंशन देने की कृपा करेंगे ताकि वे महत्वपूर्ण कार्य हो सकें?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सप्लीमैंट्री लंबी है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है और जहां तक एम.आई.एस. के अपलोड करने की बात है ,तो इसको जी.आर.एस. अपलोड करता है और तकनीकी सहायक एम.बी. की डिटेल देता है। जहां तक माननीय सदस्य ने कार्यों की बात है ,मैं माननीय सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि दिनांक 01-04-2014 को हमारे पास लगभग 67,322

02/04/2015/1115/RG/AG/2

ऐसे काम थे जो पिछले चल रहे थे जिनको कैरी फॉरवर्ड किया गया क्योंकि वे काम कम्पलीट नहीं हुए थे। वर्ष 2013-14 में लगभग चालीस प्रतिशत हमारे काम कम्पलीट हुए थे और 60 प्रतिशत अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किए गए। जो वर्ष 2014-15 के लिए हमने कार्य स्वीकृत किए हैं ,जो ये नए कामों के स्वीकृति के बारे में कह रहे थे ,तो हमने 50,333 काम अगले वर्ष 2014-15 के स्वीकृत किए हैं और 1,11,655 काम वर्ष 2014-15 के लिए संभावित काम कर रहे हैं। यदि हम कंपलीशन के बारे में बात करें ,तो अभी तक 33 प्रतिशत काम इस वर्ष के अंदर अभी कम्पलीट किए जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मैटीरियल की कमी या अन्य फण्ड्ज का प्रश्न उठाया है, तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस वर्ष कटौती लगने के बाद हमारे पास फण्ड्ज कम थे इसलिए मैटीरियल कंपोनेंट के पैसे को हमें रोकना पड़ा और उसके अगेन्स्ट हमने लेबर कंपोनेंट किया। क्योंकि इस ऐक्ट के अंदर प्रावधान है कि यदि कोई काम मांगता है, तो उसको काम देना पड़ता है इसलिए हमें रोज़गार देना था , उस पैसे को हम लगातार देते रहे। केवल मैटीरियल कंपोनेंट हमारे पास पैण्डिंग पड़ा हुआ है और जैसे ही पैसा आएगा, हम मैटीरियल कंपोनेंट की पेमेन्ट भी साथ-साथ कर देंगे। इस वर्ष लगभग 477.45 करोड़ रुपये का खर्चा हमने किया है और इसमें आज की तारीख तक लायबिलिटी 70 करोड़ 77 लाख रुपये की खड़ी हुई है। तो जैसा मैंने पहले

कहा कि जैसे ही पैसा आएगा, हम मैटीरियल कंपोनेंट की पेमेन्ट भी करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, तो मैंने पहले ही कहा है कि हमारे बहुत से मण्डी के ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां कुछ पेमेन्ट कर दी गई है, जैसे बल्ह में 82.5 प्रतिशत पेमेन्ट कर दी गई है ,चौंतड़ा में 75 प्रतिशत पेमेन्ट कर दी गई है ,धर्मपुर में 82 प्रतिशत पेमेन्ट कर दी गई है----------जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

02/04/2015/1120/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1926 क्रमागत----ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी------

और धर्मपुर में 82 प्रतिशत, द्रंग में 84 प्रतिशत और गोहर ब्लॉक में 82 प्रतिशत पेमैंट कर दी गई है। अभ 18 प्रतिशत पेमैंट करने को बची है। जहां तक सिराज ब्लॉक की बात है, वहां 88 प्रतिशत पेमैंट कर दी गई है। हर ब्लॉक में 10-12 प्रतिशत पेमैंट करने को बची है बाकी अधिकतर पेमैंट इस वर्ष कर दी गई है।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से जानना चाहता था कि जो वर्ष 2013- 14में या वर्ष 2014-15 में हमने मनरेगा के तहत काम डाले हैं और किसी कारणवश उन महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू नहीं किया गया और जो नैक्स्ट शैल्फ डाला गया है ,उसमें भी उन कार्यों को नहीं डाला गया है, क्या मंत्री जी उन कार्यों को एक्सटैंशन देने की कृपा करेंगे? साथ में मैंने एक और बात कही थी कि जब हम कार्य पूरा कर देते हैं ,चाहे मनरेगा का हो या दूसरा काम हो तो उसकी एम0आई0एस0 अपलोड करने की भी एक समय-सीमा तय की जाए ताकि कोई भी पंचायत ऐसी न बचे। काम तो आज कम्पलीट है लेकिन उसकी एम0आई0एस0 अपलोड न होने की वजह से आप जब भी किसी पंचायत का डाटा देखते हैं तो आज भी वहां उसकी रिपोर्ट निल (NIL)पाई जाती है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में मंत्री जी बताएं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है क्योंकि वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से हमने लेबर बजट भेजा है और वहां से उसकी एप्रूवल आएगी और पंचायत-वाइज आएगी। इसलिए अगले वर्ष के लिए उसकी एक्सटैंशन के लिए, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह संभव नहीं होगा।

जहां तक एम0आई0एस0 अपलोड करने की बात है, हमने हर स्तर पर जिम्मेदारियां फिक्स की हुई हैं। जो बातें आपने हमारे ध्यान में लाई हैं ,उनकी हम पूरी जांच करेंगे कि एम0आई0एस0 अपलोड करने में कहां कमी रही। उसमें हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि उसमें किसके स्तर पर कमी रही है और देखेंगें कि वह एम0आई0एस0 में अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अब मटीरियल और लेबर की पेमैंट ऑनलाइन हो रही है। तो एम0आई0एस0 में अपलोड करने में किस स्तर पर कमी हुई है उसकी हम जांच करेंगे।

02/04/2015/1120/MS/JT/2

Speaker: Shri Jai Ram jee, Speak different thing.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि इस वर्ष लगभग 477.45 करोड़ रूपये खर्च किया है। इसके साथ-साथ इन्होंने अपने उत्तर में इस बात का भी जिक्र किया है कि लगभग 70करोड़ रूपये की पेमैंट की लायबिलिटी उनके पास खड़ी है। मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 70 करोड़ रूपये की पेमैंट पैंडिंग है, यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इसकी क्या वजह है? इस बात को मैं मानता हूं कि पेमैंट करने में थोड़ा डिले हो सकता है। इस 70 करोड़ रूपये की पेमैंट में से ऐसी पेमैंट कितनी हैं, जिसको 5-6 महीने से काम करने के बावजूद भी हम नहीं दे पा रहे हैं? इसके अलावा, कितनी ऐसी पेमैंट है जो 31 मार्च यानी इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के तहत हैं ?दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि ब्लॉक्स में जो आपके बी0डी0ओज 0हैं, उन्होंने पंचायतों के प्रधानों को बड़ा सख्त आदेश दिया है कि आपके जो पिछले पैंडिंग वर्क्स हैं, उनको पहले पूरा किया जाए और उनको पूरा करने के बाद ही मनरेगा के तहत नई स्कीम की स्वीकृति आपको मिलेगी? क्या इस प्रकार का आदेश आपके मंत्रालय/निदेशालय से बी0डी0ओ0 को गया था? इसकी भी जानकारी चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी पैंडेंसी 70 करोड़ 77 लाख रूपये की है। मैंने पहले भी सदन में कहा है कि हमने केन्द्र सरकार से 90 करोड़ रूपये की लायबिलिटी की बात की है और उन्होंने माना भी है। वह हमें 90 करोड़ रूपये देंगे। अभी तक जो ऑनलाइन एम0आई0एस0 अपलोड करते हैं उसके अनुसार आज तक हमारे

पास 70 करोड़ 77 लाख रूपये की लायबिलिटी स्टैंड कर रही है और जैसे-जैसे हमारे पास सूचना आएगी, हो सकता है कि यह इससे आगे भी बढ़ जाए। इसके प्रावधान हेतु हमने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त मांग की है और उन्होंने कहा है कि वह हमें 90 करोड़ रूपया अलग से देंगे। यह अलग से प्राप्त होगा। मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूं कि जो आप यह बात उठा रहे हैं, मैं आपके ब्लॉक की भी बात करना चाहता हूं। कई बार हम भी चाहते हैं कि कौन सा ब्लॉक किससे संबंधित है लेकिन यदि आप भी इस बात को देखें,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

2.4.2015/1125/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः1926------जारी----

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री--------ःजारी-------

परन्तु आप भी इस बात को देखें कि आपके ब्लॉक में भी हमने 4-5 पंचायतों का सर्वे किया। 5-6 पंचायतों ने एक साल के अन्दर एक-एक करोड़ रूपए तक का काम कर दिया। मैं यहां पर केवल सूचना दे रहा हूं कि क्या यह सम्भव है? क्योंकि मनरेगा के अन्दर एक पंचायत एक वर्ष में एक करोड़ रूपए का काम कर रही है। मैं यहां पर आपके ब्लॉक की बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, यह जो हमने डायरैक्शन दी थी यह 15 नवम्बर, 2014 को विभाग के माध्यम से दी गई थी। इसमें हमने कहा था कि जो हमारे लम्बित काम है उनको पहले करें। अगर इसमें लेबर कम्पोनेंट की बात है तो उसको प्राथमिकता दें। यदि मेटीरियल कम्पोनेंट की जगह लेबर कम्पोनेंट की बात है तो यह लैटर हमारा 15 नवम्बर, 2014 को विभाग के द्वारा दिया गया था। इसमें हमने कहा था कि - "The Gram Panchayat should first allocate works that are incomplete and have the required labour employment potential. After the completion of incomplete works, new works may be sanctioned. For those projects implementation agencies that have incomplete works for more than one fiscal year, after the year in which the works were proposed, no sanction should be given for building new works." यह हमारी डायरैक्शन्ज गई हैं।

प्रश्न समाप्त।

प्रश्न संख्याः 1927

अध्यक्षः श्री ईश्वर दास धीमानः अनुपस्थित। श्री जय राम ठाकुर, सेम क्वैशचन।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सचमुच में साबित हुई है कि जहां तक संस्थान खोलने की बात है, वर्तमान सरकार की उसमें गति बहुत तेज़ है। वर्तमान सरकार ने1 .1. 2013से 15.2. 2015तक 16 कॉलेज खोले हैं। जिनमें से 14 महाविद्यालयों को जून, 2014 से कार्यान्वित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो का जिक्र किया है कि उनको आगामी सत्र में करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी प्रदेश में कुछ कॉलेज खोलने की अधिसूचना जारी की थी? अगर ऐसी अधिसूचना जारी की गई थी तो उनमें से कितने ऐसे नाटिफाईड कॉलेजिज थे जिनको बाद में डीनोटिफाई कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से वर्तमान सरकार ने उन्हीं कॉलेजिज की उन्हीं स्थान पर अधिसूचना जारी कर दी । उनकी मैं संख्या जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से ऐसे कॉलेज हैं? दूसरे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी जानकारी चाहता हूं कि कॉलेज खोलने की रफ्तार और शिक्षा संस्थान खोलने की रफ्तार जब चुनाव नज़दीक आता है, उस वक्त इनको खोलने की बहुत तेज़ी से हो जाती है। मैं देख रहा था कि एक संस्थान मेरे चुनाव क्षेत्र के और हमारे बंजार विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता एक गाढ़ागुसाईं क्षेत्र है, अगर वहां पर देखा जाए तो टीचर्ज वहां पर मात्र 5 और गैर शिक्षक मात्र 1 है, जो सूचना यहां पर दी गई है। सन्धोल में भी इसी प्रकार से अध्यापकों की संख्या 5 है और गैर शिक्षक की मात्र 1 है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ठीक है कि दूर-दराज़ के क्षेत्रों में संस्थान खोले हैं। यह कोई विरोध का विषय नहीं है बल्कि इसका स्वागत है, लेकिन ये संस्थान चलें। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी संस्थान दूर-दराज़ क्षेत्रों में खोले गए हैं, प्राथमिकता के आधार पर जो पद वहां पर तमाम आपने सृजित किए हैं, उनको भरने के लिए अविलम्ब प्रयत्न करेंगे, क्या ऐसे आदेश देंगे?

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

प्रश्न संख्याः 1927 क्रमागत

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सरकार ने 01.01.2013 से 15.02.2015 तक प्रदेश में 16 डिग्री कॉलेज खोले हैं और इसमें ये कहा है कि कुछ कॉलेज वे हैं जोकि भारतीय जनता पार्टी ने जब विधान चुनाव निकट था उस समय खोले हैं। यह ठीक है जब वे कॉलेज खोले गए थे तो बिना किसी बजट प्रोविजन के महज चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका नोटिफिकेशन किया गया था। वहां पर न कमरों का प्रबंध था, न टीचर का प्रबंध था। कहीं एक प्रिंसीपल और एक चपड़ासी बिठा दिया। किसी को एक कमरे में खोल दिया, किसी को दो कमरे में खोल दिया। उन कॉलेजों को हमने रद्द किया। एक-आध को छोड़ करके नये सिरे से हमने उन कॉलेजों को दिया है । आज जितने भी कॉलेज खोले गए हैं वे सब दूर-दराज के इलाकों में खोले गए हैं। लैफ्ट आउट एरियाज़ में खोले गए हैं। यह बहुत अच्छा एक्सपैरीमैंट हुआ है। अच्छा नतीजा निकला है। आज इन कॉलेजों में काफी मात्रा में विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। सबसे खुशी की बात है कि उनमें लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, हरेक कॉलेज के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये दिये गये हैं। अभी जो कॉलेज खोले गए हैं एक-एक कॉलेज के लिए पांच करोड़ रुपया भवन निर्माण के लिए या अस्थाई व्यवस्था करने के लिए या फर्नीचर वगैरह लाने के लिए दिया गया है। जितना भी इन कॉलेजिज़ को बनाने के लिए खर्च होगा सरकार उतना पैसा देगी और हम चाहते हैं कि जो वित्तीय वर्ष कल शुरू हुआ है यानी 1 अप्रैल, 2015 से शुरू हुआ है इसी वित्तीय वर्ष के अंदर ये सारे कॉलेजिज़ के भवन बनकर तैयार हो जाएं ताकि अच्छी तरह से वहां पर शिक्षा का प्रावधान हो। हमने जो प्रदेश के दूर-दराज के अछूते क्षेत्र थे वहां पर शिक्षा का प्रावधान किया है। इस बात की हमें प्रसन्नता है। अध्यक्ष महोदय, आज इन कॉलेजिज़ के लिए इस वक्त 498 प्रध्यापकों की ज़रूरत है। अभी अधिकांश में हमने आर्टस की क्लासिज़ चलाई हैं। 498 प्रध्यापकों की दरकार है। अभी हमने इनके लिए पहली स्टेज पर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजिशन भेजी है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी उनकी पहली खेप सिलैक्ट करके भेजी है। उनको पेश कर दिया गया है और बाकी जो नम्बर्ज़ अलग-अलग सब्जैक्ट्स के हैं उसकी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उनके भी इंटरव्यू हो रहे हैं और

जैसे-जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम आयेंगे वैसे-वैसे जो रिक्तियां हमारे कॉलेजिज़ में विभिन्न विषयों की हैं लेक्चरार वहां पर भेजे जायेंगे।

02.04.2015/1130/SS-AG/2

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन कॉलेजिज़ की नोटिफिकेशन की थी, उनको इन्होंने एकमुश्त रद्द किया। रद्द करने के पश्चात् सारे लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया।

मुख्य मंत्रीः कोई स्टे नहीं दिया।

श्री विजय अग्निहोत्रीः वहां सरकार ने एफिडेविट फाइल किया कि इन-इन कंडीशन्ज़ के अन्तर्गत नये महाविद्यालय खोले जायेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

02.04.2015/1135/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1927 जारी---

श्री विजय अग्निहोत्री जारी--
वहां सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया कि इन-इन कंडिशन के अंतर्गत नए महाविद्यालय खोले जाएंगें। तो क्या जहां पहले नोटिफिकेशन हुई थी, वहीं दोबारा से कॉलेज खुले हैं? जो 15 दिन पहले कंडिशन्ज़ फुलफिल नहीं करते थे, 15 दिन के बाद कैसे वो कंडिशन पूरी करने लगे? दूसरे, जो ये नए कॉलेज खुले हैं, इनमें कितने-कितने छात्रों ने एडमिशन ली है? तीसरे, नदौन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या गलौड़ नामक स्थान पर भी सरकार कॉलेज खोलने का इरादा रखती है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले, चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्दबाज़ी में कॉलेज खोले थे। वहां पर न टीचर्ज़ थे, न स्टाफ था, न कमरे थे और न कोई अन्य प्रावधान था। महज फट्टा लगा दिया था

तो उनको हमने रद्द किया। हमने तो गुण-दोष के आधार पर ही कॉलेज खोले हैं और बहुत से कॉलेज जो आपकी सरकार के समय में नोटिफाई किए गए थे, हमने उनको फिर से नोटिफाई किया है और उनके भवनों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये दिए हैं। भूमि का प्रावधान किया है और आज वहां पर भवन का निर्माण हो रहा है। और इसी तरह से उसके अलावा अन्य कॉलेज खोले गए हैं। जैसे मैंने कहा है कि हमने 16 डिग्री कॉलेज खोले हैं उसके अलावा तीन और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगें। कांगड़ा जिला में तकीपुर है, खुंडियां है और एक लंज में ।

02.04.2015/1135/केएस/एजी/2

अध्यक्षः रवि जी, अब आप क्या पूछना चाहते हैं, सारा जवाब तो आपको मिल गया है?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुपूरक प्रश्नों के जवाब दिए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे आपने हमें कहा कि हमने ये महाविद्यालय चुनाव से पहले खोल दिए तो क्या आप अपनी लिस्ट भी देखेंगें? लोकसभा चुनाव के तुरन्त एक महीना पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं डेट बता रहा हूं- राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरियां में 15.1.2 014को, राजकीय महाविद्यालय खुंडिया 24.02. 2014को , राजकीय महाविद्यालय रिवालसर 15.01.2014 को, राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल 15.01.2014 को खोला।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। मा0 मुख्य मंत्री ने पहले ही यह कह दिया है कि कॉलेज इसलिए बन्द किए थे क्योंकि उनमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। आप प्रश्न पूछिए लेकिन जिसका जवाब मुख्य मंत्री जी ने पहले ही दे दिया है, वही सप्लीमेंट्री दोबारा मत पूछिए।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वही तो पूछ रहे हैं। हमारी बात को भी रिकॉर्ड में आने दो। जब हमने 2011 या 2012 में कॉलेज खोल दिए तो वह तो चुनाव से पहले हो गए। यह जो 2014 के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में खोल दिए, तो क्या ये चुनाव से पहले नहीं खोले गए? क्या ये कॉलेज आपने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नहीं खोले? दूसरे, क्या यही सही नहीं है कि 14 में से 7 डिग्री कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के समय के हैं क्या उन सातों के सातों कॉलेजों के लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई थी? अगर की थी,

तो कितनी-कितनी की थी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन 14 महाविद्यालयों को कार्यमूलक कर दिया गया है, इनमें प्रत्येक कॉलेज में विद्यार्थियों की कितनी-कितनी संख्या है और एक जो विजय अग्निहोत्री जी ने प्रश्न किया, उसका आपने जवाब नहीं दिया। जो आपने वहां पर एक एफिडेविट फाईल किया था, जो गाईड लाईन्ज़ आपने कही थी कि हम इनके अनुसार संस्थान खोलेंगें, उसके प्रति जो एफिडेविट दिया उसके अनुसार आपने कितने महाविद्यालय इस प्रदेश में खोलें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रवि जी को कहना चाहूंगा कि आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। प्यार से बात करो। गुस्से में बात मत करो। दोषारोपण की भाषा में बात मत करो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि –

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

2.4.2015/1140/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 1927 ----------क्रमागत

मुख्य मंत्री : जारी----------
भाषा में बात मत कीजिए। यह तथ्य है कि चुनाव सिर पर आ गये थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा था, तब इनको कुछ झटका लगा और इन्होंने कहा (---व्यवधान---)और इन्होंने कहा। (---व्यवधान---) सुनो, सुनो। नहीं, सुनिए।। am not going to listen to you. -(---व्यवधान---)

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का लम्बा उत्तर दूंगा। मैं यहां आपके झटके से बात शुरु कर रहा हूं। उस झटके के बाद आपने सब कुछ किया। आपने चुनाव के मद्देनजर पंजाब की तर्ज पर, वहां की सरकार द्वारा गठित केबिनैट सब कमेटी की रिकमैंडेशन के आधार पर हर चीज को ताक पर रखकर यहां सारे वेतनमान मंजूर कर दिए। यहां पर जल्दी में कई कॉलेज खोले गए। कहीं प्रींसिपल बैठ गए, कहीं सिर्फ चपड़ासी बैठ गए और बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमने जितने

भी कॉलेज खोले हैं ,चाहे आपके द्वारा ही नोटिफाई किए गए हों; उन सबके भवन निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उनमें और पैसा लगेगा तो वह भी देंगे। उनके लिए जितने आवश्यक पद थे हमने उनको स्वीकार किया है। उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रैक्विजिशन भेजी है। वहां से आ रही रिकमैंडेशन्ज के अनुसार उनको तुरंत लगाया जा रहा है। We want to give a real college and not to just show the people on the eve of elections. जहां तक आपने कहा कि हमने लोक सभा चुनाव से पहले खोले हैं, तो खोले होंगे। मगर उनके लिए भी हमने 5-5 करोड़ रुपये की राशि दी है। हमने प्रत्येक कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपये की राशि दी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उन पर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च होगी तो वह भी हमारी सरकार देगी और उनके बहुत

2.4.2015/1140/jt/av/2

अच्छे/सुंदर भवन का निर्माण किया जायेगा। हमारा स्कूल खोलना या कॉलेज खोलना कोई पोलिटिकल एजैंडा नहीं है, यह जन सेवा है। आपकी हर चीज पोलिटिकल एजैंडे के लिए होती है। आज हमारी सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचा दी है। उनमें हो सकता है कि शुरु-शुरु में कम बच्चे होंगे। मुझे याद है, काफी समय पहले डॉ.परमार के समय में रामपुर में कॉलेज खुला था। वहां उस वक्त केवल 17 बच्चे और 23 लैक्चरर्ज थे। वहां दो-तीन साल ऐसा ही चला। उसके बारे में इसी विधान सभा में चर्चा हुई थी कि यह तो वाइट ऐलीफैंट है। इससे अच्छा तो यह होगा कि कॉलेज को बंद करो और वहां पढ़ रहे 17 बच्चों को वजीफा देकर चण्डीगढ़ पढ़ने के लिए भेजो। उस वक्त डॉ. परमार ने कहा था कि अगर हमें शिक्षा की ज्योति फैलानी है तो हमें अपने यहां शिक्षा का मंदिर खोलना होगा और धीरे-धीरे वहां पर काफी बच्चे हो गए। आज उसी कॉलेज में 2500 के करीब बच्चे हैं। ऐसी शुरुआत आनी में हुई, बंजार में हुई, दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कॉलेजों में हुई। कॉलेजों में बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी है कि हमने जितने कॉलेज खोले हैं उनमें आज काफी मात्रा में विद्यार्थी हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज दूरदराज के क्षेत्रों में खोले गए कॉलेजों के अंदर लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लड़कियों को पहली दफ़ा अपने घर के नज़दीक पढ़ने का मौका मिला है।

अगला प्रश्न श्री बी जे द्वारा जारी

02.04.2015/1145/negi/ag/jt/1

प्रश्न संख्याः 1928.

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एच.पी. स्टेट मार्केटिंग बोर्ड पुनः इस योजना के तहत बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के लिए भी धन मुहैया करवायेगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, इसके लिए पंचायत के माध्यम से, पंचायत के रिकमैंडेशन से और वहां की गठित समिति के माध्यम से प्रस्ताव आएगा। अगर वहां से प्रस्ताव आएगा तो पैसा खर्च किया जाएगा।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर मंत्री महोदय ने रखी है उसके "क" भाग में तो आपने यह कहा कि इन कार्यों को वर्ष 2003से 2006 तक 2,53,25,480/- रूपये दिए गए और वर्ष 2006 तक उसमें से 2,32,27,186/- रूपये खर्च हुए। यह भी कहा है कि सिरमौर जिला में एक सड़क की युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नही आया, बाकी कार्यों के आ गए। आपने "ख" भाग में यह स्वीकार किया है कि बिना एफ.सी.ए. की क्लीयरेंस के ये सारे काम हुए। उसका परिणाम क्या हुआ? ये लगभग 300 सड़कें है। कुछ सड़कें वर्ष 2007 में भी बनी है। ये सारी सड़कें मनमानी ढ़ंग से बिना टैक्निकल एडवाइज़ के बनी है और अधिकांश सड़कें आज भी इस्तेमाल में नही आ रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमान वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और इन सारे कामों पर रोक लगा दी और उसके बाद मार्केट कमेटी के माध्यम से पैसा नही दिया। वर्ष 2007 के चुनाव से पूर्व पुनः यह परमिशन दी गई और पुनः ही उन सड़कों की दुर्गति हुई। क्योंकि एफ.सी.ए. की क्लीयरेंस है नही और इन सड़कों को लेने के लिए कोई विभाग तैयार नही है। इन सड़कों की वाइडनिंग हुई नही है, अगर गाड़ी ऊपर चढ़ानी हो तो आगे से खींचनी पड़ती है और नीचे जाएगी तो पीछे से पकड़नी पड़ती है। फलस्वरूप फिर रोक लगी । अब फिर एक लॉबी तैयार हुई है और वह सक्रिय है कि येन-केन -प्रकारेण जो मार्किट कमेटी के पास फीस का पैसा जमा हुआ है, जो कि किसानों की गाढ़ी कमाई है, कैसे उसको लें और कैसे फिर मौज उडाएं

02.04.2015/1145/negi/ag/jt/2

और वे सफल भी हो रहे हैं। उनकी गिद्ध दृष्टि इस पैसे पर है और अब उन्होंने यह फिर अनुमति दिला दी है । मेरे पास वह चिट्ठी भी है, विभाग ने लिख दिया है कि अब मार्केट कमेटी फिर करेगी । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और मुख्य मंत्री जी यहां हैं, वह भी कृपया इसमें हस्तक्षेप करें कि आज सबसे ज्यादा जरूरत मार्केट कमेटी यार्ड में क्या है? आपके कहीं भी कोल्ड स्टोर नही है, कुलिंग-चैन की व्यवस्था नही है और माल वहां सड़ता है। क्या आप मूलभूत व्यवस्था देने हेतु इस पैसे को मार्केट यार्ड और किसानों के वैलफेयर पर खर्चेंगे? क्योंकि यह उनकी गाढ़ी कमाई है। अगर आपको सड़कें ही बनानी है तो फिर क्या इस पैसे को लोक निर्माण विभाग को देंगे ताकि इसका सदुपयोग हो?

अध्यक्षः कृपया संक्षेप में बोलिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा इन्होंने कहा है, दोबारा फिर एक लैटर आ गया है और परमिशन दे दी गई है कि दोबारा सड़कें बनाई जाएगी । मुख्य मंत्री महोदय, क्या आप जवाब देना चाहेंगे।

मुख्य मंत्री : आप जवाब दें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, इसमें एफ.सी.ए. की क्लीयरेंस किसी भी केस में नही है। जो सड़कें बनी थी वे पंचायतों के थ्रू या डिवलपमैन्ट कमेटीज के थ्रू बनी थी । इसमें कोई टैक्निकल एक्सपर्ट नही थे । ये सड़कें ठीक नही बनी है इसीलिए अब दोबारा इस नीति को शुरू किया जा रहा है ताकि इन सड़कों की ठीक तरीके से मुरम्मत हो सके और इन सड़कों को ठीक ढ़ंग से वर्क-एबल कंडिशन में लाया जा सके।

02.04.2015/1145/negi/ag/jt/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है राज्य स्तर पर है और जिला स्तर पर मण्डी समितियां हैं यह गांवों को छोटी-छोटी सड़कों से

जोड़ने के लिए धन उपलब्ध करवाती है ताकि किसानों का कृषि उत्पाद आसानी से मण्डी में पहुंचे।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

02.04.2015/1150/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या-- 1928----जारी----

मुख्य मंत्री--जारी-----

आसानी से मंडी में पहूंचे या छोटा रोप-वे लगाने के लिए है, अगर इसमें हमारी मार्किटिंग हो जाए ,उसमें मदद हो जाए तो अच्छी बात है, यह कोई नुकसान की बात नहीं है । अगर उनको PWD द्वारा बनाएंगे तो इसमें परमिशन देने में ही कितने साल लग जाएंगे । कई किस्म की परमिशन्ज़ होती हैं जो उन्होंने अपने स्तर पर करनी है । उनको हम विभाग वाले अपने स्तर पर करेंगे । ये कोई बड़े-बड़े रोड नहीं बनाएंगे ये तो small link roads of one kilometre, half kilometre and few yards, ताकि जो गाड़ी है वह हर गांवों में या निकटतम गांवों में पहूंचे और लोगों के कृषि उत्पाद को मंडी तक लाने में आसानी हो, उसके लिए है It is not construction of major bridges. या रोपवे लगाने हों ताकि आसानी से रोपवे लगा दिया और लोगों का उत्पादन मंडी तक पहूंचे । उस दृष्टि से महज हॉर्टिकल्चर को बूस्ट देने के लिए तथा ऐग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए ही है यह प्रावधान है । कोई मेजर रोड बनाने के लिए नहीं है ।

श्री महेशवर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि 2003 से 2006 तक भी इसी दृष्टि से यह पैसा मार्किटिंग बोर्ड को दिया गया फलस्वरूप बिना टैक्नीकल नो-आऊ के वे रास्ते बन गए । जिस पर फ्रूट की लोडिड गाड़ी नहीं जायेगी तो वह सड़क किस काम आयेगी? इसलिए मैने यह निवेदन किया था कि इससे आवश्यक और क्या है कि सड़कें तो PMGSY और नाबार्ड में बन रही है, फिर इसमें FCA की क्लियरेंस नहीं है इस कारण से गांव में भी ये सड़कें नहीं खुदेंगी और फिर यह पैसा पड़ा रहेगा । यहां विधायक प्रायोरिटी को भी नही मिल रही है । आज तक सर्वेक्षण नहीं हुआ, आज तक

वह DPRs नहीं बनी हैं । तो इनकी FCA क्लियरेंस इतनी जल्दी कहां मिलेगी ? इसलिए क्या इस पैसे को जनहित में किसानों के हित में, जिनकी गाढ़ी कमाई से यह टैक्स आता है, उनको कोल्ड स्टोरेज या उनके लिए वहां पर कूंलिंग चेन की व्यवस्था सुविधा देंगे ? अगर इस पैसे को आप रोपवे में खर्च करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वह तो सड़क नहीं है, वह सीधा बांध

02.04.2015/1150/यूके/एजी/2

कर नीचे लाना है । तो उन सड़कों का क्या काम है जिन पर गाड़ी चलनी ही नहीं, गाड़ी तो छोड़िए, खच्चर भी नहीं चलती । तो क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विचार करने के बाद ही यह फैसला हुआ है ।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, 2003 से 2006 तक जो सड़कें बनी हैं और यहां पर बताया गया कि उसकी कोई देखरेख नहीं हुई है ,सड़कें टूट गई हैं और वास्तव में वे सड़कें जमीन पर कहीं है ही नहीं । मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या मार्किट फीस जो पहले 2% होती थी वह फिर 1% हुई । उसके बाद फिर वह खत्म हो गयी है । केवल सेब पर लगती है । क्या मार्किटिंग बोर्ड और मार्किटिंग कमेटियों ने कोई पैसा सड़कें बनाने के लिए ईयरमार्क कर रखा है? अगर कर रखा है तो कितना कर रखा है ? दूसरे क्या मार्किटिंग कमेटी और मार्किटिंग बोर्ड के पास क्या कोई टैक्नीकल आदमी इन सड़कों को बनाने के लिए मौजूद हैं ? अगर नहीं है तो उनको सड़कें बनाने की परमिशन क्यों दे रहे हैं? क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि अगर कहीं सड़कें बनानी है तो पैसा PWD को दे दिया जाए, या जिस एजेंसी के पास काई नो-हाऊ, जानने वाले इंजीनियरिंग स्टॉफ है, उसको दे दिया जाए और वह सड़कें वही बनाए और मार्किटिंग कमेटी और मार्किटिंग बोर्ड अपने यार्ड बनाने हैं, कूलिंग चेन बनानी है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर उनका बनना चाहिए, जो कहीं पर नहीं बना है, उसको बनाने में ये अपनी शक्ति लगाएं ।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, अभी जो पैसा ईयरमार्क नहीं है और बोर्ड के पास है । मैं बताना चाहूंगा कि टैक्नीकल स्टाफ हमारा ब्लॉक्स में हैं । 3-3 जे0ई0 एक ब्लॉक में हैं । अब उन सड़कों को

हम उन ब्लॉक्स के माध्यम से और पंचायतों के माध्यम से बनाएंगे । और पंचायतों के काम को वहां टैक्नीकल पर्सन और जो वहां पर जे0ईज़0 बैठे हैं वे सुपरवाईज़ करते हैं ।

अध्यक्ष :मंत्री जी इनका मतलब यह है कि जो सड़क का काम है (व्यवधान)

02.04.2015/1150/यूके/एजी/3

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह जो फैसला हुआ है वह विचार करने के बाद हुआ है ।

एसएलएस द्वारा जारी जारी-----

02.04.2015/1155/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1928 ..जारी

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ... जारी

...(व्यवधान)... यह फैसला विचार करने के बाद ही लिया गया है और उन्होंने यह कहा है। एक-एक ब्लॉक में 3-3 टैक्निकल आदमी, जे.ईज. हैं, इसलिए यह काम उनके थ्रू होगा।

प्रश्न समाप्त

02.04.2015/1155/sls-ag-2

प्रश्न संख्या :1929

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो यह सड़क कनाहल से बजाथल के लिए है, यह पी.एम.जी.एस.वाई. नैटवर्क में है। वर्ष 2006-07 में वहां के ग्रामीणों ने पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नाम ज़मीन की गिफ्ट डीड कर दी है, तब से ग्रामीणों की

ज़मीन लोक निर्माण विभाग के नाम लग गई है। इस सड़क में एक सिंगल पेड़ भी नहीं है। जितनी भी इसकी अलाईनमैंट बनी, जहां से सड़क जा रही है, उसमें कोई पेड़ नहीं है। लेकिन इस सड़क की फोरैस्ट क्लीयरैंस अभी तक नहीं हुई और न ही डी.पी.आर. बनी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वर्ष 2006- 07में प्राईवेट ज़मीन लोक निर्माण विभाग के नाम लग चुकी है और तब से लेकर अब तक भी फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हुई है, इसलिए इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की जाए कि इस काम को इतनी अवधि के अंदर कर दिया जाएगा। इसकी साईट इंस्पैक्शन भी हो गई है। मैं चाहता हूं कि इसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस जल्दी मिले और डी.पी.आर. भी जल्दी सैंक्शन हो जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क चौपाल में बनी है और
इसकी स्थिति यह है - the survey of the road from Kanahal to Bajathal under Chopal Constituency has been done. As per inspection report, no tree is coming in the proposed alignment of this road in the forest land. No such court orders are in the knowledge of the department. Length of road is 9 kms; forest land violation is 3.605 kms; and private land involved is 5.395 kms. Gift deeds from private landowners have been received. Joint inspection of the road has been conducted on 09.05.2014. During the joint inspection it was found that 35 trees are coming in the alignment of road (16 in Mandir Committee land and 19 in private land). Joint

02.04.2015/1155/sls-ag-3

Inspection Committee has reported violation in forest land. The forest case has been prepared and stands submitted to Regional Office, Dehradun. Forest land to be diverted is 5.599 hectare. DPR of this work will be prepared under PMGSY only after the receipt of approval from the Forest Department.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरी कुछ पंचायतें ऐसी है जैसे किरन, टीलर आदि, जो उत्तरांचल में

फंसी हैं। वहां 15- 15किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है क्योंकि वह सड़कों से वंचित हैं। यह सड़कें भी पी.एम.जी.एस.वाई. नैटवर्किंग में आई हैं। उनकी डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया और फोरैस्ट क्लीयरैंस की प्रक्रिया वर्ष 2004 से शुरू हुई है जो आज तक पूरी नहीं हुई। यह जो उत्तरांचल के बीच में फंसी हुई हिमाचल प्रदेश की चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की दो पंचायतें टीलर और किरन हैं, क्या इनके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय विभाग को कोई ऐसे आदेश देंगे कि इन दोनों पंचायतों की डी.पी.आर. समय सीमा के भीतर तैयार हों?

Chief Minister: I share the concern of the Hon'ble Member. अध्यक्ष महोदय, चौपाल की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां के गांव जंगलों के बीच में बसे हैं।

जारी ...श्री गर्ग जी

02/04/2015/1200/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1929----क्रमागत

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात--------क्रमागत

I share the concern of the Hon'ble Member, चौपाल की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां जो गांव हैं वे जंगलों के बीच में बसे हुए हैं और जब सड़क बनानी हो, तो जंगलों के बीच में से होकर सड़क बनानी पड़ती है जिससे वहां बहुत कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज फण्ड्ज होते हुए भी मंजूरियां होते हुए फॉरेस्ट क्लीयरैंस न मिलने के कारण कई सड़कें रुकी हुई हैं। जो कुपवी एवं नेरवा का इलाका है उसके बीच भूमि को जोड़ने के लिए सड़क बहुत सालों से बन रही है और मुझे याद है कि एक सड़क बननी तब शुरू हुई थी जब मैं सांसद था बहुत पहले और वह आज तक नहीं बन पाई। तो इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे ,हर विभाग को चाहे वह लोक निर्माण विभाग है, चाहे वन विभाग है ,चाहे राजस्व विभाग है या जो भी संबंधित विभाग है ,ये लोग मिलकर जल्दी से इसकी डी.पी.आर. बनाएं ,इसकी अड़चनों को दूर करें और इसको विगरसली परस्यु करें ताकि जल्दी-से-जल्दी इन सड़कों को बनाने की हमें अनुमति प्राप्त हो सके। वरना, पैसा है, बजटरी प्रोवीजन है मगर इसके होते हुए सड़क नहीं बन पा रही हैं। I share the concern of Hon. Member for that and I can assure him I will leave no stone unturned to see that Chopal gets its due

and roads which are the lifeline of the people there are constructed after removing all the objections in a legal way and then can have the roads constructed.

प्रश्नकाल समाप्त

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

Speaker : Question Hour is over. I will give you time.

02/04/2015/1200/RG/JT/2

कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्ष : अब कागजा़त सभा पटल पर रखे जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-:

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे (संपरिक्षा रिपोर्ट सहित) ,वर्ष 2013-14; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, निरीक्षक, ग्रेड-I ,वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,201 4 जोकि अधिसूचना संख्याः एफ.डी.एस.-ए(3)-1/2009 दिनांक 31.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.01.2015 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-1 4की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

/-2

02/04/2015/1200/RG/JT/3

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>

अध्यक्ष : अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी अपना ध्यानकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमण्डल की केदारपुर रिहायशी बस्ती में मै0 स्टार कैमिकल द्वारा अवैध ढंग से स्टोर किए गए खतरनाक रसायनों/कैमिकल्ज़ से हो रहे रिसाव के कारण लोगों में भारी रोष से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, पांवटा उप-मण्डल में जो केदारपुर जगह है वहां पिछले तीन महीने से बहुत ही घातक रसायनों का रिसाव हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप न केवल आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा है बल्कि वन सम्पत्ति भी प्रभावित हुई है। मै. स्टार कैमिकल के नाम से वहां एक कम्पनी है जो पिछले 15साल से रसायन कैमिकल्ज की सप्लाई फैक्ट्रीज में करती है और पिछले 15 साल से उसका स्टोर गोनपुर औद्योगिक क्षेत्र में था ,लेकिन पिछले तीन महीने से उसने बिना किसी की अनुमति के जो केदारपुर रिहायशी इलाका है ,वहां अपना स्टोर शिफ्ट किया है जिससे कि वहां लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले एक महीने से वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भी इस बात की गुहार लगाई कि हमारी सेहत को नुकसान हो रहा है,

वनस्पति को खतरा पैदा हो रहा है और पिछले 13 मार्च को सभी लोग, वहां के स्थानीय लोगों ने एस.डी.एम. के कार्यालय में इस बात की शिकायत की। एस.डी.एम. महोदय ने जांच के लिए पुलिस विभाग ,पॉल्युशन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखे। स्वास्थ्य विभाग एवं पॉल्युशन विभाग की टीम 16 मार्च को वहां गईं और स्वास्थ्य विभाग के बी.एम.ओ. ने जो रिपोर्ट वहां पर दी। उसमें उन्होंने कहा कि गोनपुर में इसका जो भण्डारण किया गया है-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

02/04/2015/1205/MS/JT/1

श्री बलदेव सिंह तोमर जारी--------

उन्होंने जो रिपोर्ट वहां पर दी, उस रिपोर्ट में कहा कि जो वहां पर भण्डारण किया गया है, वह बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 84 बैग फिटकरी के, 11 बैग कास्टिक सोडा के और 17000 हाइड्रोक्लोराइड एसिड सोल्यूशन के वहां पर मौजूद पाए गए तथा गैस का रिसाव भी वहां पर हो रहा है। इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण वहां पर आसपास के लोगों की जान सांसत में आ गई है। अभी तक जहरीली गैस के प्रभाव से आधा दर्जन से ज्यादा लोग स्थानीय अस्पताल में अपना ईलाज करवा रहे हैं और इससे भी अधिक लोग निजी अस्पतालों में अपना ईलाज करवा रहे हैं। इस गैस के रिसाव से मुंह, आंख और नाक में जलन और बदन पर खुजली तथा चक्कर आने जैसे रोग लग रहे हैं। प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी पिछले एक महीने से कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। मात्र लीपापोती हो रही है। जबकि इस फर्म के पास खतरनाक रसायनों के भण्डारण करने का कोई लाइसैंस नहीं है, मात्र इसके पास एक टिन नम्बर है। जबकि वर्ष 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब के व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है और इसकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। यह मात्र फैक्टरी से उपभोक्ता द्वारा सीधा लाया जा सकता है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने बच्चों को वहां से कहीं और भेजना शुरू कर दिया है। लोग वहां पर मास्क लगाकर रह रहे हैं। मेरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि तुरन्त वहां से इस भण्डारण को हटाकर जो इण्डस्ट्रियल एरिया है, उस जगह पर भेजा जाए ताकि वहां पर जो लोग

रहते हैं क्योंकि वह शहरी इलाका है और उसके आसपास बस्ती रहती है, उससे लोगों को राहत मिले, धन्यवाद।

02/04/2015/1205/MS/JT/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति इस प्रकार है। जिला सिरमौर के पौंटा साहिब उप-मण्डल के केदारपुर रिहायशी बस्ती में मै0 स्टार कैमिकल द्वारा स्टोर किए गए खतरनाक रसायनों/केमिकल्ज से हो रहे रिसाव के कारण उत्पन्न खतरे से संबंधित मामले पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, पौंटा साहिब द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को किया। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गैस अथवा कैमिकल का रिसाव नहीं पाया गया। मौके पर पाया गया कि मैसर्स स्टार कैमिकल्ज, केदारपुर द्वारा कास्टिक सोडा (Sodium Hydroxide Flakes), एल्यूमीनियम सल्फेट (Aluminium Sulphate) एवं सोप सोल्यूशन (Soap solution) का भण्डारण बिक्रय हेतु किया जाता है। मौके पर कास्टिक सोडा 50 किलोग्राम की 11 बोरियां, एल्यूमीनियम सल्फेट की 80 बोरियां तथा सोप सोल्यूशन (Soap solution) के 17 छोटे ड्रम पाए गए।

यद्यपि मैसर्स स्टार कैमिकल्ज, केदारपुर से किसी भी प्रकार का रिसाव नहीं पाया गया है। फिर भी माननीय विधायक महोदय द्वारा उठाए गए मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि इस कम्पनी की गतिविधियों का निरंतर मूल्यांकन करें व इसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जांच करें। यह भी जांच की जाएगी कि क्या कम्पनी द्वारा जिन रसायनों का भण्डारण किया जा रहा है, वह वैध है या नहीं व तद्नुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Mr. Speaker, Sir, although prima facie no violation of any statutory provisions has been found, yet a case for creating public nuisance has been filed against this company under section 133 of the Criminal Procedure Code. The case is pending disposal in the court of SDM, Paonta Sahib.

जारी श्री जे0के0/जे0टी0 ------

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक मुद्दा उठाया था कि शिक्षा विभाग पर जब कट मोशन्ज की चर्चा के बाद विपक्ष ने वॉक-आऊट किया था तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने टिप्पणी की थी कि विपक्ष के विधायक डी.ए. लेने के हकदार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल ज़वाब दिया था कि ---- (व्यवधान)------जवाब दिया था मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। अखबार वालों ने अपने आप लिख दिया है। मैं विधान सभा की कार्यवाही को ब्रीफ कर रहा हूं जो कि 31 मार्च, 2015 की है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, मैं रैलावैंट पोर्शन ही पढ़ रहा हूं -"That shows that they are determined to walkout no matter what the reply is. They are non-serious about their work. In fact they are not entitled even to draw the daily allowance. They are not performing properly." यह सदन की कार्यवाही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि मैंने नहीं कहा है। ---- (व्यवधान)------

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह आप पुरानी बात कर रहे हैं। यह परसों वाली बात नहीं है।
श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही विधान सभा की है। ---- (व्यवधान)------

अध्यक्षः पासिंग रैफरैंस में यह माननीय मुख्य मंत्री ने उस वक्त कहा है। इसको लिटरली मत लीजिए। इन्होंने कहा था कि if they are not serious, they are not allowed.

Shri Suresh Bhardwajः "They are non-serious about their work. In fact, they are not entitled even to draw the daily allowance". What this means? यही तो हमारा कहना था। कि डेली अलाऊंस लेने के लिए यहां पर नहीं आते। हम अपना काम करते हैं और वॉक आऊट करना हमारा जनतांत्रिक

2.4.2015/1210/जेके/जेटी/2

अधिकार है। अगर हम वॉक आऊट करते हैं तो उसमें यह कहना कि they are not entitled to daily allowance. And Hon. Chief Minister yesterday denied this. He has said I have not said so. The newspapers have written this themselves.

अध्यक्षः क्या यह न्यूज पेपर में आया है?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, अखबार में नहीं बल्कि यह आपकी कार्यवाही है। यह सदन की कार्यवाही है। ---- (व्यवधान)------ Page 85 of your proceedings.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। आपने कल यह कहा था कि किसी अखबार में छपा है तो यह कहां अखबार में आया है। Where is the newspaper? ---- (व्यवधान)---आप तो हाऊस की प्रोसीडिंग के बारे में कह रहे हैं। ---- (व्यवधान)---- --Please sit down. ---- (व्यवधान)------आप लोग मेरी बात सुनिए।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के विधायकों के अपमान करने की कोई मंशा नहीं है और हम विपक्ष को पूरा सम्मान दे रहे हैं और ये बाल की खाल निकाल रहे हैं। ---- (व्यवधान)------

अध्यक्षः आप लोग मेरी बात सुनिए। भारद्वाज जी एक मिनट बैठिए। आपने कल यह कहा था कि पेपर में छपा है कि आप लोग सिर्फ टी.ए. डी.ए. लेने आते हैं और काम नहीं करते। Where is that newspaper? यह जो आप कह रहे हैं यह तो हाऊस की कार्यवाही है। पेपर कहां है? आपने तो कल पेपर की बात की थी। आपने तो कल न्यूज पेपर की बात की थी। You are quoting the internal proceedings of the House. यह हाऊस के अन्दर हुआ है।

2.4.2015/1210/जेके/जेटी/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कल जो चर्चा हुई है और जो ये कहते हैं कि मैंने कहा । इन्होंने पढ़ा कि मैंने क्या कहा, according to the proceedings. I stand by it,

except the sentence कि (***) I withdraw that. I stand by the other things I said.

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

***** माननीय मुख्य मंत्री ने वापिस लिए जिस पर अध्यक्षपीठ ने सहमति दी।**

मुख्य मंत्री क्रमागतः

--(व्यवधान)-- --- (*******), if I said and is recorded that they are not entitled to draw the daily allowance, I withdraw that words. जिसके कारण ये ऐसा माहौल यहां पैदा कर रहे हैं।

अध्यक्षः देखिये, बात सुनिये। वीरेन्द्र जी, एक मिनट बैठिये। देखिये, माननीय मुख्य मंत्री जी के अगर ये रिमार्कस हैं भी तो वे विदड्रा कर लिये हैं। I want to remind you. (interruption..)एक मिनट ठहरिये। Please listen to me. पिछले हफ्ते रविन्द्र सिंह रवि जी ने मुख्य मंत्री जी पर कोई रिमार्क किया था which was not in good taste of the parliamentary procedure. आपने खुद मुझे कहा था कि मैंने गलती से बोल दिया, मैं विदड्रा करता हूं। अब माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि अगर मैंने कहा है तो मैं विदड्रा करता हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, वह विषय खत्म हो गया जो भारद्वाज जी ने रखा था। वीरेन्द्र कंवर जी का विषय अलग है। वह इससे संबंधित नहीं है। इनका प्वाइंट ऑफ आर्डर अलग है।

अध्यक्षः किस चीज़ के लिए है?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए।

अध्यक्षः मैं आपसे (श्री रविन्द्र सिंह) पूछ रहा हूं कि आपने कोई रिमार्क मुख्य मंत्री महोदय पर किया था? लास्ट वीक में कोई रिमार्क किया था and you withdrew it.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तो उस समय मैंने कहा था। आपको मालूम है कि हम कांगड़ा में कहते हैं कि ज्यादा घुच्च-घुच्च अच्छी नहीं। हमने वही कहा था और उसको विदड्रा कर लिया था। श्री वीरेन्द्र कंवर जी का विषय अलग है।

***** माननीय मुख्य मंत्री ने वापिस लिए जिस पर अध्यक्षपीठ ने सहमति दी।**

02.04.2015/1215/SS-AG/2

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपनी बात विदड्रा कर ली है। मेरा निवेदन है कि don't stretch the things too far. छोटी-छोटी बातें होती हैं उनको मत बढ़ाईये। --(व्यवधान)—

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, वीरेन्द्र कंवर जी अलग विषय उठा रहे हैं इनको बोलने दीजिए। मुख्य मंत्री जी का विषय खत्म हो गया। उन्होंने वापिस ले लिया और हमने मान लिया।

अध्यक्षः मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि थोड़ा-सा असैम्बली का मैटर पहले फिनिश कर लें। यह ज़रूरी है। विधेयक वगैरह हैं। इनमें रूकावट आयेगी।। will give you time. --(व्यवधान)—

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

Speaker: Just a minute. मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा।

02.04.2015/1215/SS-AG/3

<u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव</u>

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 30 अगस्त, 2011 को इस सदन में पारित हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) को वापिस लिया जाए ।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सदन द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) को वापिस लिया जाए ।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) को वापिस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 25) वापिस हुआ।

अब विधायी कार्य होंगे। सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना होगी।

जारी श्रीमती के0एस0

02.04.2015/1220/केएस/एजी/1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगें कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

02.04.2015/1220/केएस/एजी/2

अब माननीय मुख्य मंत्री शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

02.04.2015/1220/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन)

विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करेंगें।

02.04.2015/1220/केएस/एजी/4

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

02.04.2015/1220/केएस/एजी/5

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने प्रश्न उठाया था और सदन प्रारम्भ होने के समय भी नियम-67 के अंतर्गत यह प्रश्न उठा था कि हमारे पार्टी दफ्तर पर जो हमला हुआ है, उसकी आज तक जांच नहीं हुई है और न उस पर सदन में कोई रिस्पोंस आ रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षीय पार्टी के दफ्तर पर हमला हो जाए, हमारे एक कार्यकर्ता की आँख फट जाए, उस पर किसी प्रकार का केस तक न चले और उसकी कोई इन्क्वायरी न हो तो उसके बारे में क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, सरकार कोई रिस्पोंस देंगें कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है?

अध्यक्षः इससे पहले कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल भी यह चर्चा हुई थी और इन्होंने कहा था कि investigation is on और यह सबज्युडिस है। मा0 मुख्य मंत्री जी इसके बारे में कोई स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें लेकिन इन्होंने यह कहा कि इन्वैस्टिगेशन चली हुई है और साथ में यह सबज्युडिस है। इसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। इन्वैस्टिगेशन मुख्य मंत्री जी ने नहीं करनी है यह तो इन्वैस्टिगेशन एजैंसी ने करनी है। मुख्य मंत्री जी, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? (Interruption) We have to wait for the finalization of the investigation.

02.04.2015/1220/केएस/एजी/6

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यह केस सब ज्युडिस नहीं है। इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए हम इस माननीय सदन से वाकआऊट कर रहे हैं। (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए)

मुख्य मंत्री अ0व0 द्वारा जारी--

2.4.2015/1225/ag/av/1

Chief Minister: Speaker, Sir, the entire matter is under investigation. Why don't they wait for the conclusions of the investigation? ये लोग बाहर जाने का बहाना ढूंढते हैं और नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर झगड़ा हुआ। मगर जांच में यह भी मालूम हुआ है कि यूथ काँग्रेस के जुलूस के पास लाठिया/पत्थर इत्यादि नहीं थे। वे लाठिया और पत्थर कहां से आए? वहां किन लोगों ने पत्थर फेंके; इन सबके बारे में वीडियो बनी हुई हैं और पुलिस इन दोनों पहलुओं को देख रही है।

Speaker: Any decision can be taken only after the finalization of the investigation agency's report.

2.4.2015/1225/ag/av/2

<u>नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख</u>

अब नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख होंगे।
श्री सतपाल सिंह सत्ती। (अनुपस्थित)
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर। (अनुपस्थित)
श्री कृष्ण लाल ठाकुर। (अनुपस्थित)
श्री सुरेश कुमार। (अनुपस्थित)
डॉ.राजीव बिन्दल। (अनुपस्थित)
श्री राम कुमार।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के गांव खारसी, डाकखाना बढलग में पानी की समस्या के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस प्रकार से हैं :-

वहां न केवल गांव खारसी बल्कि उसके साथ लगते समस्त गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है। इसका एक तो मुख्य कारण हैण्ड पम्प जिसका विद्युतीकरण किया गया है, से पानी निकालने हेतु जो मोटर लगाई गई है उसका बार-बार खराब होना है। दूसरा कि, एक मोटर जो कि इससे पहले लगी हुई थी और खराब हो गई थी उसको हैण्ड पम्प से बाहर नहीं निकाला गया है और उसके ऊपर दूसरी मोटर लगाई गई है। जिस कारण उचित रूप से हैण्ड पम्प से पानी नहीं निकलता है तथा लोगों को पूर्ण रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः जनहित में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पुरानी मोटर को निकालकर वहां पर दूसरी नई मोटर

2.4.2015/1225/ag/av/3

लगाई जाए तथा पानी के उचित वितरण के लिए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

गांव खारसी में विद्युतीकृत बोर वैल (हैण्ड पम्प) से पानी की सुविधा वर्ष 2003 में दी गई थी। योजना का 3 एच.पी. का पम्पसैट वर्ष 2009-10 में बोर वैल में गिर गया था जिसे कोशिश करने पर भी नहीं निकाला जा सका। तत्पश्चात बोर वैल में नया पम्प सैट डाला गया जो सुचारु रूप् से चलता रहा परंतु सितम्बर, 2014 में पम्पसैट खराब हो गया। जब मुरम्मत के बाद भी पम्प सैट नहीं चला तो नवम्बर, 2014 में पम्पसैट बदल दिया गया जो आज तक सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। वोर (हैण्डपम्प) में पानी का स्तर कम होने के कारण पम्प को 10 से 15 मिनट चलाने के बाद 15 से 20 मिनट तक बंद करना पड़ता है। प्रतिदिन 1 घंटे 40 मिनट लिफ्टिंग से योजना के अंतर्गत आने वाले गांव खरसी व फकरेड की लगभग 120 की आबादी को रोजाना 9000 लीटर पानी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन गांवों में 2 हैण्ड पम्प भी स्थापित किए गए हैं जो सुचारु रूप से चल रहे हैं।

चण्डी क्षेत्र में पेयजल के सम्बर्द्धन के लिए 21,69 करोड़ अनुमानित लागत की एक वृहद योजना पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है जिसके अंतर्गत उपरोक्त गांव भी लाभान्वित होंगे।

2.4.2015/1225/ag/av/4

अध्यक्ष : अब राम कुमार जी नियम 324 के अंतर्गत अपना दूसरा विषय उठायेंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान ग्राम पंचायत बढलग, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के गांव मनेशी में बेकार पड़ी बिजली की लाइन और खम्भों के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि इस प्रकार से हैः-

श्री बी जे द्वारा जारी

02.04.2015/1230/negi/ag/jt/1

श्री राम कुमार जारी..

मैं सरकार का ध्यान ग्राम पंचायत, बढ़लग, तहसील कसौली, जिला सोलन हि0प्र0 के गांव मनेशी में बेकार पड़ी बिजली की लाईन और खम्बों के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे न केवल गांव मनेशी बल्कि उसके साथ लगते अन्य गांवों में भी बेकार बिजली की लाईन और खम्बों से यह समस्या बनी हुई है । यह खम्बें पूर्णतः सड़े गले हैं तथा कभी भी किसी के ऊपर गिर सकते हैं। अतः दुर्घटना की आशंका के दृष्टिगत जनहित में मेरा सरकार से अनुरोध है कि बेकार में लोगों की उपजाऊ भूमि में पड़ी बिजली की तारों और खम्बों को वहां से हटाए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि इससे जन-माल की क्षति न हो।

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

माननीय सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत बढ़लग, तहसील कसौली, जिला सोलन के गांव मनेशी में जिस बिजली की लाईन को बेकार बताया गया है, के संबंध में, मैं इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि इस बारे नोटिस पिछली शाम 7.00 बजे प्राप्त हुआ है व आज यह मामला चर्चा हेतु निश्चित किया गया है। समय अभाव व रात होने के

कारण इस क्षेत्र विशेष में वर्णित लाईन व खम्बों की वस्तुस्थिति बारे फिजिकल वैरिफिकेशन नहीं की जा सकी है।

परन्तु मैं इस सदन को आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि इस लाईन व खम्बों की फिजिकल वैरिफिकेशन के पश्चात यदि वास्तव में यह लाईन बेकार पाई गई व खम्बे गले सड़े पाए गए तथा इस लाईन से यदि किसी प्रकार की विद्युत आपूर्ति किसी क्षेत्र को नहीं की जा रही है व इससे किसी प्रकार के जान-माल की क्षति का भय है, तो इस लाईन व खम्बों को तुरन्त हटा दिया जाएगा। इस बारे मैंने आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिए हैं।

02.04.2015/1230/negi/ag/jt/2

अध्यक्षः अब श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर- एबसेन्ट।

अब इस मान्य सदन की बैठक, सोमवार, 06 अप्रैल, 2015 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004. **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 02 अप्रैल, 2015. **सचिव।**

* * * * *